राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3497/2025

श्याम लाल बैरवा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर राजस्थान।
3. अतिरिक्त, जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अन्हियाँ, बूंदी।
4. प्राचार्य, स्वामी विवेकानन्द शासकीय, मॉडल स्कूल, हिंडोली, बूंदी।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.07.2025
आदेश की दिनांक : 05.08.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विकास काबरा , अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–II (अंग्रेजी), के पद पर स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल, हिंडोली, बूंदी में कार्यरत है। अपीलार्थी की नियुक्ति वर्ष 2005 में अध्यापक ग्रेड–III के पद पर हुई थी और वह राजकीय प्राथमिक विद्यालय, फतेहगढ़, हिंडोली, बूंदी में तैनात था (अनुलग्नक–1)। अपीलार्थी को वर्ष 2015 अध्यापक ग्रेड–II के पद पर पदोन्नत किया जाकर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, रेन, हिंडोली, बूंदी में पदस्थापन किया गया। राजस्थान सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा की समान गुणवत्ता प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर राज्य भर में चालू शैक्षणिक सत्र में 66 विशेष या मॉडल स्कूल स्थापित किए हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि **''दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में 6वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, राज्य सरकार ने चालू सत्र में स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के नाम से लगभग 66 विशेष स्कूल स्थापित किए हैं,''** यह प्रस्तुत किया गया है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के फंड से स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के नाम से कार्यरत ये संस्थान ग्रामीण बच्चों के लिए विज्ञान, गणित और अंग्रेजी की शिक्षा पर विशेष जोर देते हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि बूंदी जिले में हिंडोली में एक मॉडल स्कूल स्थापित किया

गया था। मॉडल स्कूल की स्थापना के फलस्वरूप प्रत्यर्थी विभाग आदेश दिनांक 08.12.2015 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल, हिंडोली, बूंदी, में अध्यापक ग्रेड–II (अंग्रेजी) के पद पर कार्यभार ग्रहण की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए ''प्रतिनियुक्ति'' पर भेजा गया था। अपीलार्थी को उक्त आदेश की अनुपालना में कार्यमुक्त कर दिया गया तथा अपीलार्थी ने दिनांक 28.01.2016 (अनुलग्नक–3) के द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया। प्रतिनियुक्ति के एक वर्ष पूरा होने के बाद, अपीलार्थी को मॉडल स्कूल में सेवा विस्तार दिया गया है और कार्यमुक्त नहीं किया गया है, इस संबंध में, प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 09.11.2021 (अनुलग्नक–4) को एक आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत प्रतिनियुक्ति की अवधि 2023 (2 वर्ष) तक बढ़ा दी गई है। दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद भी अपीलार्थी को मॉडल स्कूल से कार्यमुक्त नहीं किया गया है। अपीलार्थी ने प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी होने पर प्रत्यर्थी विभाग को मूल विभाग में कार्यमुक्ति की मांग करते हुए दिनांक 11.07.2025 (अनुलग्नक–5) के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। जिस पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलार्थी ने प्रतिनियुक्ति की अवधि के विस्तार के लिए अपनी सहमति कभी नहीं दी। आगे के निर्देशों की मांग करने के लिए आवेदन/अभ्यावेदन उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है। प्रतिनियुक्ति एक त्रिपक्षीय अनुबंध है और प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी की सहमति के बिना प्रतिनियुक्ति की अवधि नहीं बढ़ा सकते। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर के डीबी स्पेशल अपील रिट संख्या 175/2025 डॉ. शंकर लाल बामणिया बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 09.04.2025 (अनुलग्नक–6) का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान बताया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को प्रतिनियुक्ति स्थल अर्थात स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल, हिंडोली, बूंदी, से मूल स्थान पर स्थानांतरित कर राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रेइन, हिंडोली, बूंदी में पदस्थापित करने के आदेश फरमाये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह

आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य